

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

आफिले रिह

विपक्षी

अपिले रिह

सम मुकदमा

218

पत्रावली संख्या

41

सन् 2022

क्रमांक कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी त
सूचनाएँ जारी क

10.12.24

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अल्पस्थित
न्यायालय द्वारा कंक-कुकुर वादी को भावने लगावई
मई बाबजूद उमके कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण लम्बे
समय से नामिल हेतु निपट ही सम्मन जेनेस पेश नही
किए गए हैं जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति
गंभीर नही है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत अल्प
समय नामिल अल्प अवधि में खारिज किया जाता है। निर्णय
सरइजलाल सुनाया गया। प्रकरण फेचल शुमार होके नम्बर
से कम हो।

(रिया डाकी)
IAS

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर